भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 609
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई 2026

4जी सैचुरेशन नेटवर्क

609. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल भारत निधि पहल के अंतर्गत देश भर में 100% 4जी सैचुरेशन नेटवर्क हासिल करने की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके अंतर्गत कवर किए गए गांवों, बसावटों तथा शेष बचे बिना-कवरेज वाले क्षेत्रों की संख्या कितनी है;
(ख) 4जी सैचुरेशन के लिए उक्त पहल के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल कार्यान्वयन एजेंसियों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने लक्ष्य के अनुसार सभी दूरस्थ, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्ण 4जी कनेक्टिविटी हासिल कर ली है, और यदि हां, तो उसका साक्ष्य क्या है;
(घ) विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए प्रदर्शन निगरानी तंत्र और सेवा गुणवत्ता मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) मौजूदा 4जी साइटों को 5जी-रेडी अवसंरचना में उन्नयन करने और डिजिटल विभाजन की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(च) डिजिटल सेवाओं, ई-शासन, शिक्षा और वित्तीय समावेशन पर 100% 4जी सैचुरेशन का क्या प्रभाव पड़ा है तथा नेटवर्क कवरेज के रखरखाव और निरंतरता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्तपोषित विभिन्न मोबाइल परियोजनाओं के तहत सर्वेक्षण के बाद 45,832 गांवों/स्थानों की योजना बनाई गई है, जिनमें से 33,493 गांवों/स्थानों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान कर दी गई हैं।

(ख) मोबाइल परियोजनाओं में संवितरित निधि का विवरण डीबीएन की वेबसाइट (https://usof.gov.in/en/home) पर उपलब्ध है।

(ग) भारत के महापंजीयक की नवंबर, 2019 की सूची के अनुसार, दिनांक 31.05.2026 तक, देश के 6,44,131 गांवों में से, 6,32,875 गांवों को 4जी मोबाइल सेवाओं से कवर कर दिया गया है।

(घ) डीबीएन परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, जो सभी मोबाइल टावरों पर लागू होते हैं, साथ ही उन्हें परिभाषित सेवा स्तर करार (एसएलए) का भी पालन करना होगा। एसएलए का पालन न किए जाने की स्थिति में करारों में दंड के प्रावधान हैं।

(ङ) और **(च)** दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 5जी सेवाएं तकनीकी-वाणिज्यिक पहलुओं के अनुसार शुरू की जाती हैं। नेटवर्क कवरेज के रखरखाव और निरंतरता के लिए, कार्यान्वयन एजेंसियों को कमीशनिंग की तारीख से 5 वर्षों के लिए व्यवहार्यता अंतर के वित्तपोषण के रूप में प्रचालन व्यय (ऑपेक्स) प्रदान किया जाता है। ऑपेक्स का संवितरण निर्धारित एसएलए का पालन न करने पर लगने वाले जुर्माने की कटौती के अधीन है।
